



पत्रांक

बांका, दिनांक

काउन्सलिंग सूचना

पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण डी0एल0एड0 (फेस टू फेस) सत्र 2020-22 के निर्धारित 150 सीटों के विरुद्ध प्रथम चयनित सूची एवं द्वितीय चयन सूची के औपबंधिक नामांकन के पश्चात् शेष रिक्ति के विरुद्ध संस्थान के वेबसाईट पर तृतीय चयन सूची प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का घेतक है, नामांकन की अनिवार्यता का नहीं चयनित अभ्यर्थी दिनांक 13.02.2021 एवं 15.02.2021 तक कार्यालय के कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 04 बजे तक निम्न प्रमाण पत्र एवं कागजातों के साथ संस्थान में नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक नामांकन नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के प्रिंट आवेदन पत्र के प्रविष्टियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के उपरांत उन्हें पेमेंट लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क संस्थान के वेबसाईट पर ऑनलाइन भुगतान कर भुगतान रसीद कार्यालय में निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा कराना होगा जिसके बाद ही उनके नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

नोट :- निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 320 दिनांक 24.12.2020 के निदेशानुसार उम्र की गणना 01 जनवरी 2020 को आधार मानकर होगी, चूँकि नामांकन सत्र 2020-22 के लिए लिया जा रहा है इसलिए 21 जनवरी 2020 के पूर्व निर्धारित अहर्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही नामांकन लिया जायेगा।

नामांकन के समय निम्न मूल प्रमाण-पत्रों एवं प्रविष्टि शर्तों के साथ उपस्थित होंगे -

1. ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की प्रति
2. मैट्रिक परीक्षा का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र (सभी मूलप्रति)
3. इंटर परीक्षा का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र (सभी मूलप्रति)
4. आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षित कोटि एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र।
7. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500.00 (ग्यारह हजार पाँच सौ रु0) एवं SC/ST/दिव्यांग के लिए रु0 7000.00 (सात हजार) रु0 का भुगतान ऑनलाइन होगा।
8. सभी मूल प्रमाण-पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगे।
9. सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों में फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
10. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
11. स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र (रजिस्टर्ड चिकिस्तक के द्वारा)
12. EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अद्यतन। (मूल प्रति)
13. शपथ-पत्र लेख्य साक्ष्य प्रमाणक (नोटरी) या कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत।

उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

दि. 12/2/2021

प्राभारी, प्राचार्य
डायट, बांका।

12/2/2021